दूरदर्शन की भाषा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है । सिर्फ भाषा का ही नहीं, किस तरह से दूरदर्शन की भाषा के जरिये संस्कृति को विकृत किया जा रहा है । इसलिए मैं आपका ध्यान खींचना चाहती हूं कि ऐसा लगता है कि हम ब्रिटेन या अमेरिका के किसी कस्बे या शहर में रह रहे है । "हेलो" और "हाय" की संस्कृति आज दूरदर्शन के जरिये प्रचारित हो रही है । जिस तरह से अंग्रेजी और हिंदी की खिचड़ी भाषा को पुरसा जा रहा है लगता है जैसे हमारे देश की कोई संस्कृति और सभ्यता नहीं है, हमारा अस्तित्व नहीं है । मैं कह रही हूं कि आज दूरदर्शन ने हमारे अस्मिता के सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है । बाकी चर्चाएं तो जब सूचना और प्रसारण मंत्रालय पर चर्चा होगी तब उस दौरान करेंगे इसलिए मैं कार्यक्रमों पर नहीं जा रही हूं लेकिन भाषा के सवाल पर निश्चित रूप में हमारे देश की एक बहुत पुरानी प्राचीन संस्कृति है उसको देखते हुए हमारे देश की अस्मिता पर आज जो संकट आया है उसकी ओर निश्चित रूप से आपको इशारा करना चाहिए और सूचना व प्रसारण मंत्रालय को निर्देश देना चाहिए ।

श्री शंकर दयाल सिंह : ये मेरे साथ सम्बद्ध कर रही है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : फिर आप उनसे सम्बद्ध करेंगे ।

श्री शंकर दयाल सिंह : वे यह कहना भूल गयीं कि मेरे प्वाइंट के साथ सरला जी ने अपने को सम्बद्ध किया है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : ईश दत्त जी क्या आप भी एसोसिएट कीजिएगा ।

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : मैं एक मिनट में एसोसिएट करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा । (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष जी, श्री शंकर दयाल सिंह जी ने जिस गम्भीर विषय की ओर इस सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित किया है उसको मैं अत्यंत गम्भीर मानता हूं और इनके विचारों से अपने को सम्बद्ध करता हूं और एक ही अनुरोध करता हूं कि भाषा का ज्ञान तो सबको होता है—बच्चे को जब ज्ञान हो जाता है थोड़ा बड़ा होने पर तो वह, परिवार की जो भाषा रहती है वह भाषा जान जाता है लेकिन शब्द का ज्ञान बिरले लोगों को हो पाता है । दूरदर्शन जो है इसके माध्यम से चाहे जो समाचार हो, जो भी आता हो कार्यक्रम उसके साथ भाषा का भी ज्ञान होता है । और अगर दूरदर्शन पर भाषा सही नहीं आ रही है, शब्द सही नहीं आ रहे है तो इस देश की जो राष्ट्रभाषा है उसके साथ अन्याय हो रहा है । मैं अनुरोध कर रहा हूं कि श्री शंकर दयाल सिंह जी ने जिस सेंसर बोर्ड के लिए कहा है उसका मैं समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि इस तरह का सेंसर बोर्ड होना चाहिए और जो अधिकारी हिन्दी नहीं जानता है और उस विभाग का सब से बड़ा अधिकारी बना दिया गया है उनको तो आपके माध्यम से अनुरोध कर रहा हूं कि सरकार कृपा करके दूसरी जगह सेवा का अवसर दे दे और किसी हिन्दी के जानकार को वहां लाए, यह मेरा आपसे अनुरोध है ।

Mass Copying in the Examination

श्री राज नाथ सिंह (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, आपके माध्यम से मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, पूरा सदन इस बात से सहमत होगा कि शिक्षा के माध्यम से भारत के कल्ट और कल्चर के अनुरूप हम नागरिक तैयार करने का काम करते है, लेकिन विगत दो दशक से इस देश के कई राज्यों में जो शिक्षण संस्थाएं चल रही है, चाहे वे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट अथवा डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट कालेजेज अथवा यूनिवर्सिटीज इनमें नकल करने और कराने की मॉस कॉपिंग की प्रवृत्ति बड़ी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है । उत्तर प्रदेश में जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और मान्यवर, उस समय मैं शिक्षा मंत्री के रूप में काम कर रहा था, तो इस नकल की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए नकल विरोधी कानून बनाने का कदम किया था जिसके परिणामस्वरूप 1992 में उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से नकल रुक गई थी । जहां कभी परीक्षा परिणाम 75 फीसदी, 85 फीसदी आते थे यह नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद परीक्षा की प्रामाणिकता, परीक्षा की विश्वसनीयता इस सीमा तक बढ़ गई थी कि उत्तर प्रदेश के कई विश्वविद्यालय जो पहले प्रवेश परीक्षा, एंटरेंस एग्जाम लिया करते थे, उन्होंने वह लेना बंद कर दिया और सीधे मार्कसशीट्स के आधार पर अपने विश्वविद्यालयों में प्रवेश देना प्रारम्भ कर दिया था । लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने के बाद और इस समय जो उत्तर प्रदेश में सरकार है जिसका नेतृत्व माननीय मुलायम सिंह यादव कर रहे हैं, मान्यवर, उन्होंने चुनाव के समय ही अपने घोषणापत्र में इस बात की घोषणा कर दी थी कि मैं आने के बाद तुरंत ही नकल विरोधी कानून को 20 मिनट के अंदर समाप्त कर दूंगा । परिणाम यह हो गया कि पूरे उत्तर प्रदेश का शैक्षिक वातावरण

पूरी तरह से समाप्त हो गया। छात्रों ने यह मान लिया कि अब मुलायम सिंह जी की सरकार आएगी तो उस सरकार के आने के बाद नकल करने की पूरी तरह से हमको छूट मिल जाएगी। पठन-पाठन का वातावरण पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं रह गया, लेकिन मुख्य मंत्री बन जाने के बाद जहां उन्होंने इस नकल विरोधी कानून को रिपील किया, इसको समाप्त किया, वहीं पर उन्होंने कहा कि हम भी चाहते है कि उत्तर प्रदेश में नकल न हो और उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के एक्स वाइस चांसलर प्रो० अवस्थी के नेतृत्व में एक समिति गठित की थी। उसने नकल रोकने के लिए बहुत सारी संस्तुतियां भी देने का काम किया था और उनमें सब से बड़ी एक महत्वपूर्ण संस्तुति यह थी कि किसी भी छात्र को परीक्षा केन्द्र में नकल करने की सामग्री अथवा अनुचित साधन लेकर प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जाए और वह पूरा इस समय उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन वहां इस समय सम्पन्न हो रही बोर्ड की परीक्षाओं में नकल रोकने पर जुटा हुआ है। लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश में नकल रुक नहीं पा रही है। शायद ही ऐसी कोई उत्तर प्रदेश में शिक्षण संस्था हो मान्यवर, जिसमें कि नकल न हो रही हो और यहां तक कि ऐसी अराजक स्थिति वहां पर पैदा हो गई है कि एक समाचार है मान्यवर, उपद्रवी एस० डी० एम० को जान से मारना चाहते थे। इनकी जीप भी फूंक डाली गई। कई स्थानों पर अध्यापकों को बुरी तरह पीटा गया और एक छात्र ने तो एक अध्यापक का हाथ पकड़ कर उसकी उंगली अपने मुंह में डालकर उसको भी चबा डालने का काम किया था। मान्यवर, ऐसा क्यों हुआ? यह इसलिए हुआ क्योंकि अपने चुनावी घोषणा-पत्र में ही श्री मुलायम सिंह जी ने इस बात की घोषणा की थी कि यदि हमारी सरकार बनती है तो मैं गुंडा एक्ट समाप्त कर दूंगा और ज्यों ही उन्होंने इस बात की घोषणा की सारा अराजक तत्व पूरे उत्तर प्रदेश का यह मान बैठा कि यदि मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह जी हो जायेंगे तो उसके बाद हमको अराजकता करने की और गुंडई करने की, लूट-पाट करने की पूरी इजाजत मिल जाएगी और आज हालत ऐसी हो गई है कि कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज उत्तर प्रदेश में नहीं रह गई है। मान्यवर, एक महत्वपूर्ण फैसले में हमारी सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस श्री वेंकट-चलैया जी ने उत्तर प्रदेश के बारे में कहा है कि, "यह देश की उच्चतम न्यायालय है, कोई तमाशा नहीं है। हमें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून, व्यवस्था का सारा ढांचा ध्वस्त हो गया है। तो जैसे कि गुंडई एक्ट समाप्त करने की बात उन्होंने कही, तो यह मैसेज चला गया कि गुंडई करने की सब को छूट मिल गयी। उसी तरह जब नकल विरोधी कानून समाप्त करने की बात उन्होंने कही तो यह मैसेज चला गया हर छात्र तक कि हम को नकल करने की छूट मिल गयी है। मान्यवर, यह एक अजीबोगरीब स्थिति उत्तर प्रदेश में पैदा हो गयी है और मान्यवर उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बिहार और पश्चिमी बंगाल में भी, मैं एक समाचार पत्र में देख रहा था कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी की जो परीक्षाएं हो रही है, उनमें भी नकल हो रही है।

मान्यवर, हमारा अनुरोध इतना ही था कि शिक्षा समवर्ती सूची में आती है और हमारी भारत सरकार को इस संबंध में विचार करना चाहिए कि ऐसा कौनसा एक्जामिनेशन सिस्टम हो सकता है, ऐसी कौनसी परीक्षा पद्धति हो सकती है जिसमें कि नकल करने की संभावनाएं या तो समाप्त हो जाएं या कम हो जाएं। मान्यवर, मैं यह भी मानता हूँ कि केवल नकल रुक जाने के कारण ही सारे देश में एक शैक्षिक वातावरण नहीं बन जाएगा। हमारी प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा के बारे में एक कांप्रेहेंसिव थिंकिंग होनी चाहिए और उस संबंध में हमारी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए। तभी जाकर हम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते है। इतना ही निवेदन करते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करुंगा कि श्री राज नाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री थे, इसमें कोई संदेह नहीं और इन्होंने नकल रोकने का एक काला कानून बनाया था, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के अंदर 14 हजार लड़के-लड़कियों को इन्होंने जेल भिजवाया था और थाने मे बंद कराया था, यह भी कटु सत्य है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में इनका नकल अध्यादेश चुनाव का मुद्दा बना था और यह विधानसभा का चुनाव हार गए थे।

मान्यवर, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि यह सदन की मान्य परंपरा है कि जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है, उसके बारे में कोई आक्षेप नहीं करना चाहिए जबकि उन्होंने बार-बार राजनीतिक भावना और राजनीति द्वेष से श्री मुलायम सिंह यादव के बारे में कहा है। मैं अनुरोध करुंगा कि उन्होंने मुलायम सिंह यादव के बारे में जो कहा है, उसे आप देखकर कार्यवाही से निकलवा दें।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): ठीक है।

श्री ईश दत्त यादव : आप इस सरकार के बारे में कह सकते हैं, सरकार ने कानून बनाया, लेकिन जो व्यक्ति सदन में उपस्थित नहीं है, अपना स्पष्टीकरण नहीं दे सकता उसके बारे में आपको नहीं कहना चाहिए । दूसरे इन्होंने विषयांतर भी किया है । जो घोषणा-पत्र इनकी पार्टी का था, उसे जनता ने निरस्त कर दिया और श्री राज नाथ सिंह जी मुझे क्षमा करेंगे कि उस नकल अध्यादेश पर वह स्वयं भी विधान सभा चुनाव हार गए । मान्यवर, उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने अवस्थी जी जोकि लखनऊ विश्वविद्यालय के उप-कुलपति हैं, अनुभवी है और पिछले 20 वर्षों से विधान सभा के निरंतर सदस्य हैं, उनकी अध्यक्षता में विद्वानों की और पत्रकारों की एक समिति बनायी ।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : यह विशेष उल्लेख है । हम बहस नही कर रहे हैं ।

श्री ईश दत्त यादव : उस समिति ने इस काले कानून को रद्द कर के कहा कि इसकी जगह पर नकल रोकने की व्यवस्था होनी चाहिए । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में नकल कहीं नहीं हो रही है और हमारे विद्वान मित्र ने जो कहा है, वह राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर कहा है, इसलिए मैं इनका विरोध कर रहा हूँ ।

श्रीमती मालती शर्मा (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । मान्यवर, मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश के उस समय के शिक्षा मंत्री स्वयं यहां उपस्थित है । मान्यवर, इनके बनाए हुए कानून का, उत्तर प्रदेश में केवल शहरी क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण अंचल में भी जो अनपढ़ व्यक्ति था, उसने भी स्वागत किया है । मैं स्वयं गांव-गांव घूमती हूँ, इसलिए मुझे यह पता है । गांवों के माता-पिता यह कहते थे कि इस सरकार ने यह इतना बढ़िया कानून बनाया है कि वह धन्य है । इससे हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो सही ।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : आप उनसे सम्बद्ध करती हैं ?

श्रीमती मालती शर्मा : मैं सम्बद्ध करती हूँ, लेकिन साथ ही सरकार से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर यही स्थिति चलती रही तो उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए हमें यह विशेष चिंता रहेगी कि वह हायस्कूल पास कर लेंगे, इंटरमीडिएट पास कर लेंगे, बी० ए० पास कर लेंगे नकल कर के, लेकिन जो हमारी अखिल भारतीय सेवाएं है, उनके कम्पटीशन में हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चे भाग नहीं ले सकेंगे । और देश के किसी कोने में वह सेवा करने के लिए नहीं जा सकेंगे । इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि भारत सरकार को तुरन्त इस ओर ध्यान देना चाहिए क्योंकि बच्चों का भविष्य खतरे में है ।...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : सर, वह पश्चिम बंगाल सरकार के बारे में बोले है, मेरा निवेदन है...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : सरला जी, बैठ जाइए, प्लीज ।

श्रीमती इला पंडा (उड़ीसा) : सर, माननीय सांसद ने कलकत्ता विश्वविद्यालय मे जिस परीक्षा प्रणाली के दोष की चर्चा की है और एग्जामिनेशन में नकल की चर्चा की है, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ । अभी परीक्षाएं चल रही हैं । किस विभाग में, कहां नकल हुई ? कृपया मुझे बताएं ।...(**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष : (श्री मोहम्मद सलीम) श्री शिव प्रसाद चनपुरिया ।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : पश्चिम बंगाल सरकार 17 साल से चल रही है और जो शिक्षा के क्षेत्र में अराजकता चल रही थी पश्चिम बंगाल सरकार ने उस शिक्षा की अराजकता को दूर कर एक अच्छा माहौल तैयार किया । अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिम बंगाल सरकार को प्रशंसा की जा रही है शिक्षा के लिए और हमारे माननीय सांसद कह रहे है कि वहाँ नकल हो रही है । इस तरह की बातें जो एक राज्य सरकार के बारे में गलत तरीके से कही जाती हैं, इस तरह की बातों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए....(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : चनपुरिया जी, आप शुरु कीजिए ।...(**व्यवधान**)...

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : उपसभाध्यक्ष जी, एक ही बात पूछनी थी । सुप्रीम कोर्ट का एक ही जजमेंट हम लोग माने या दूसरा भी हुआ था भा० ज०पा० सरकारों के भंग करने के बारे में ? क्या उसको माननीय सदस्य मानते हैं ?...(**व्यवधान**)...

श्री राजनाथ सिंह : मान्यवर, यह मैं और कह देना चाहता हूँ, माननीय ईश दत्त यादव जी इस सदन के सम्मानित सदस्य है, उन्होंने मान्यवर यह आरोप लगाया है कि मेरे कार्यकाल में 14,000 छात्र जेल में गए । मैं दावे के साथ इस बातको कह सकता हूं कि एक भी छात्र 1992 में नकल विरोधी कानून के अंतर्गत जेल नहीं गया ।...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM) : It will not go on record.

श्री ईश दत्त यादव : मान्यवर, . . .*

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : प्लीज बैठिए। रिकार्ड नहीं हो रहा, ईश दत्त जी ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : सर, . . . (व्यवधान) . . .*

उपसभाध्यक्ष : नहीं, नहीं। चनपुरिया जी, बोलिए।

Irregularities in Education System in backward areas particularly in Madhya Pradesh

श्री शीव प्रसाद चनपुरिया (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आदिवासी अंचल में शिक्षा की जो दुरावस्था है, उसका उल्लेख करते हुए मैं एक ऐसे स्कूल की बात करूंगा, जो साल में केवल एक दिन खुला है गणतंत्र दिवस के दिन । स्वतंत्रता दिवस के दिन उसमें झण्डा-आरोहण भी नहीं किया गया । शिक्षक साल भर वहां हाजिर नहीं, एक दिन आकर हाजिरी दे देता है । वहां केवल बेगा जाति के आदिवासी लोग है । यह बेगा बहुत ही पिछड़ी जाति मानी जाती है आदिवासीयों में । हर राज्य सरकार को केन्द्र शासन अनुदान और सहायता देता है आदिवासीयों में शिक्षा संचालन के लिए । इस वर्ष 1994-95 के बजट में 1,055 करोड़ रुपया आदिवासीयों में शिक्षा संचालन, ऐसी व्यवस्था के लिए दिया गया है, लेकिन, महानुभाव, वहां की दुरावस्था क्या है ? शिक्षा स्कूल खुल नहीं रहे है ।

मान्यवर, मैंने उदाहरण दिया । उस गांव का नाम भी मैं बताए देता हूँ मंडला जिले में आदिवासी तहसील है निवास, निवास तहसील के भीतर भानपुर नाम का गांव है, पोस्ट कनेरी के अंतर्गत आता है । वहां स्कूल साल में एक दिन खुला । शिक्षक हाजिरी साल में एक दिन हुई और 13 वर्ष से चलने वाले उस स्कूल में एक भी लड़का प्राइमरी पास नही हुआ । राज्य शासन के शिक्षा अधिकारी आदिवासी अंचलों के, वनों के भीतर रहने वाले गांवों में शिक्षा की व्यवस्था की कोई निगरानी नहीं करते और मनमाने तरीके से वहां शिक्षक काम करते है । आदिवासी गांव वालों की उनको परवाह कभी रहती नहीं और हर दिन की हाजिरी लगाते रहते है । शासन से पैसा लेते रहते है । तो मैं यह चाहता हूँ कि एक ऐसा निगरानी दल केन्द्रीय शासन की ओर से बने, राज्य शासन के सक्षम अधिकारियों को भी साथ में लें और एक ऐसा अभियान चलाएं आदिवासी अंचल में कि एक-एक प्राथमिक स्कूल या मिडिल स्कूल, सबकी निगरानी वह करता रहे और जहां इस तरह की गड़बड़ियां हों, उनके शिक्षकों को कड़े से कड़ा दंड दे क्योंकि यह देश के लिए बड़ा घातक है । हम आदिवासियों के कल्याण के लिए सब कुछ करने को तैयार है, अरबों रुपए खर्च कर रहे है, लेकिन आदिवासीयों के बीच में हो क्या रहा है, इसकी जानकारी हम लेने की कोशिश नहीं कर रहे है । मैं अभी जल-जंगल-जमीन विकास अभियान के सिलसिले में आदिवासी गांवों में गया था, मैं और उल्लेख नहीं करूंगा कि वहां क्या-क्या अव्यवस्था है सिंचाई आदि की, लेकिन यह मेरी नजर में है कि वहां के गांव के लोगों ने एक एप्लीकेशन दी, पचासों लोगों के दस्तखत थे वहां के ग्रामीणों के कि हमारे स्कूलों का यह हाल है ।

इसलिए मैं उसी विषय पर बोलकर इस सदन से और आपसे चाहता हूँ कि आप केन्द्रीय शासन को यह निर्देश दें कि आदिवासी अंचल में केवल मध्य प्रदेश की बात मैं नहीं कर रहा, जहां भी आदिवासी गांव है, उन सब की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक निगरानी समिति गठित करें, राज्य शासन के भरोसे ही यह काम नहीं होगा, राज्य शासन शायद उपेक्षा कर रहा है मैं खुले रूप से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं गांव-गांव घूमता हूँ, मैं जानता हूँ कि राज्य शासन कुछ नहीं करता है । तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इस पर ध्यान देने की कृपा करें ।

श्री राघवजी (मध्य प्रदेश) : महोदय, माननीय शिव प्रसाद चनपुरिया जी ने जो मामला उठाया है, मैं अपने आपको इनसे एसोसिएट करता हूँ ।

Discussion on the working of the Ministry of Defence

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): We will now take up the discussion on the working of the Ministry of Defence. Shri Suresh Kalmadi to raise the discussion.

SHRI G. G. SWELL (Meghalaya): How long are we going to sit? Up to 6 p.m.?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Up to 6 p.m.

SHRI G. G. SWELL: That means, the debate would continue tomorrow also.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): If it is not concluded today.

---

*Not recorded.